"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2019 — आषाढ़ 14, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जून 2019

क्रमांक 6286/डी. 117/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) की धारा 2 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (झ) में, शब्द "ट्रांसफार्मरों" के पश्चात् एवं शब्द "अथवा राज्य सरकार या लोक उपक्रम के ऐसे अन्य संकर्मों" के पूर्व, शब्द ",ट्यूब वेल ड्रिलिंग वर्क, चबूतरा निर्माण तथा हैण्डपम्प स्थापना का कार्य, जलशुद्धिकरण संयंत्र निर्माण कार्य, इंटेकवेल निर्माण कार्य, सभी प्रकार के पाईप प्रदाय एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य, पम्प हाऊस निर्माण कार्य, उच्च स्तरीय टंकी/संपवेल निर्माण कार्य, रॉ/क्लीयर वाटर पम्प के कार्य, आयरन रिमूवल प्लांट/फ्लोराईट रिमूवल प्लांट का प्रदाय एवं स्थापना का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, भू-जल संवर्धन से संबंधित रिचार्ज स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य" अंत:स्थापित किया जाये.

अटल नगर, दिनांक 27 जून 2019

क्रमांक 6286/डी. 117/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-6-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 9 of 2019)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2, in sub-section (1), in clause (i) of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), after the word " transformers" and before the words "or such other words", the punctuations and words ",tube well drilling work, ramp construction and hand pump installation work, water purification plant construction work, intake well construction work, all types of pipe supply and pipeline laying work, pump house construction work, high level tank/ sump well construction work, raw/clear water pumps work, supply and establishment of iron removal plant/fluoride removal plant work, rain water harvesting work, construction of recharge structures related to ground water enrichment work" shall be inserted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.